निग-4059-PBR-15

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प इन्दौर (म0प्र0)

ओमप्रकाश पिता यशवंतराव, जाति मराठा,
निवासी ग्राम नारायणपुरा, तह. धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. सविता पति स्व. श्री प्रदीप मराठा,
2. अमय पिता स्व. श्री प्रदीप मराठा नाबालिग
पालनकर्ता माता– सविता पति स्व. श्री प्रदीप मराठा,
दोनों निवासी ई.के. 64, स्कीम नम्बर 54,
विजय नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर ....विपक्षीगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

महोदय,

विपक्षीगण ने ग्राम करोंदिया, तहसील धार की भुमि सर्वे नम्बर 155/1 234/1, कुल सर्वे नम्बर 2 कुल रकबा 1.453 हैक्टर का नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण 98/अ–6/2014–15 पर दर्ज है। निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02/12/2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय की याचिका कमांक 6266/2015 में पारित आदेश दिनांक 13/10/2015 की प्रतिलिपी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में नामांतरण की कार्यवाही स्थगित की जावे किन्तु

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4059-पीबीआर / 15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—12—2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 2—12—15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि वरिष्ठ न्यायालयों से प्रकरण में कोई स्थगन आदेश नहीं है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	